

कार्यालय नगरपालिका मण्डल तारानगर (चूरु) राजस्थान


क्रमांक/न.पा.ता./2022/1115

दिनांक :- 13/6/22

आपति आंमत्रण सूचना

निम्न आवेदनकर्ताओं ने नगरपालिका क्षेत्र तारानगर में अपनी 69ए नियमन की सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन किया है संबंधित आवेदन की विस्तृत जानकारी नगरपालिका तारानगर की वेबसाईट <https://urban.rajasthan.gov.in/content/raj/udh/nagar-palika-taranagar/en/citizen-corner/downloads.html> पर देखी जा सकती है। क्रम संख्या 01 से 25 तक।

अपना दावा/आपति नगरपालिका तारानगर में दिनांक 14.06.2022 से 21.06.2022 तक प्रस्तुत करे।




(अरुण कुमार सोनी)
प्राधिकारी अधिकारी
एवं अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका तारानगर

दिनांक :- 13/6/22

क्रमांक/न.पा.ता./2022-23/1116-20

01. सम्पादक राजस्थान पत्रिका सीकर एवं दैनिक नव ज्योती सीकर को भेजकर लेख है, कि उक्त आपति सूचना डीपीआर दर पर सूक्ष्मतम पेरे में प्रकाशित कर बिल भिजवाना सुनिश्चित करे।
02. संबंधित लिपिक नगरपालिका तारानगर।
03. नोटिस बोर्ड नगरपालिका तारानगर।
04. सुरक्षित पत्रावली।



(अरुण कुमार सोनी)
प्राधिकारी अधिकारी
एवं अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका तारानगर

कार्यालय नगरपालिका मण्डल तारानगर (चूरु) राजस्थान

क्रमांक/न.पा.ता./प्र.श.के.सं.अ.-2021/2021-22/1110

दिनांक :- 13.06.2022

आपत्ति सूचना प्ररूप - 5


प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय, नगरपालिका तारानगर (चूरु) राजस्थान

निम्न तालिका में अंकित आवेदको ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69-क के तहत आवासीय प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगरपालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये हैं :-

| क्र. सं. | आवेदक का नाम व पिता का नाम | आवेदन सं. | क्षेत्रफल |
|----------|---|-----------|-----------------|
| 1. | नजमा पत्नी असलम वार्ड नं. 30 तारानगर | 1528 | 235.55 वर्गगज |
| 2. | तारामणी पत्नी टिलूराम वार्ड नं. 19 तारानगर | 1529 | 160.17 वर्गगज |
| 3. | रणजीत सिंह पुत्र हजारीमल वार्ड नं. 02 तारानगर | 1530 | 357.33 वर्गगज |
| 4. | नवरतन पुत्र रामलाल वार्ड नं. 03 तारानगर | 1531 | 188.52 वर्गगज |
| 5. | अब्दुल सतार पुत्र नानू खान वार्ड नं. 09 तारानगर | 1532 | 105.02 वर्गगज |
| 6. | नन्दलाल पुत्र बुलाकीदास वार्ड नं. 03 तारानगर | 1533 | 135.70 वर्गगज |
| 7. | भंवरलाल पुत्र बुलाकीदास वार्ड नं. 03 तारानगर | 1534 | 95.57 वर्गगज |
| 8. | बलकेश पुत्र सुभाष वार्ड नं. 34 तारानगर | 1535 | 143.50 वर्गगज |
| 9. | सोनू राहड़ पुत्र राजेन्द्र प्रसाद राहड़ वार्ड नं. 12 तारानगर | 1536 | 216.87 वर्गगज |
| 10. | मोडूराम पुत्र पालाराम वार्ड नं. 15 तारानगर | 1537 | 294.38 वर्गगज |
| 11. | भंवरलाल पुत्र मोहनलाल वार्ड नं. 14 तारानगर | 1538 | 22.22 वर्गगज |
| 12. | भागीरथ वर्मा पुत्र दानाराम वार्ड नं. 01 तारानगर | 1539 | 533.33 वर्गगज |
| 13. | सरोज देवी पत्नी महेश कुमार वार्ड नं. 10 तारानगर | 1540 | 197.30 वर्गगज |
| 14. | भंवरसिंह पुत्र नारायण सिंह वार्ड नं. 28 तारानगर | 1541 | 154.15 वर्गगज |
| 15. | बालकिशन पुत्र लक्ष्मीनारायण वार्ड नं. 28 तारानगर | 1542 | 228.21 वर्गगज |
| 16. | द्वारका प्रसाद पुत्र बजरंगलाल वार्ड नं. 10 तारानगर | 1543 | 256.50 वर्गगज |
| 17. | विजय कुमार भार्गव पुत्र मोतीलाल भार्गव वार्ड नं. 30 तारानगर | 1544 | 148.10 वर्गगज |
| 18. | गिरधारीलाल व्यास पुत्र बुलाकीदास वार्ड नं. 03 तारानगर | 1545 | 98.79 वर्गगज |
| 19. | रामानन्द सैनी पुत्र उदाराम वार्ड नं. 14 तारानगर | 1546 | 138.83 वर्गगज |
| 20. | रामप्रताप पुत्र छोटूराम वार्ड नं. 14 तारानगर | 1547 | 107.54 वर्गगज |
| 21. | रघुवीर सिंह पुत्र धनपतराम सैनी वार्ड नं. 14 तारानगर | 1548 | 206.58 वर्गगज |
| 22. | केदारमल पुत्र उदाराम वार्ड नं. 14 तारानगर | 1549 | 133.37 वर्गगज |
| 23. | प्रभूदयाल पुत्र छोटूराम वार्ड नं. 14 तारानगर | 1550 | 113.10 वर्गगज |
| 24. | मारखदीन पुत्र नब्बू खां वार्ड नं. 02, तारानगर | 1551 | 170.24 वर्गगज |
| 25. | संतरा देवी पत्नी भवानी शंकर वार्ड नं. 09 तारानगर (समर्पण पट्टा) | 1552 | 216.16 वर्गमीटर |

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगरपालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर किसी आक्षेप में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार किया जायेगा।


सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 13.06.2022 को जारी की गयी।


 (अरुण कुमार सोनी)
 प्राधिकारी अधिकारी
 एवं अधिशाषी अधिकारी
 नगरपालिका तारानगर

क्रमांक/न.पा.ता./आपत्ति सूचना/2022-23/1111-1113

दिनांक :- 13.06.2022

01. संबंधित लिपिक नगरपालिका तारानगर।
02. नोटिस बोर्ड नगरपालिका तारानगर।
03. सुरक्षित पत्रावली।



अधिसापी अधिकारी
नगरपालिका तारानगर